CONSTITUION DAY....संविधान निर्माताओं और ड्राफ्ट कमेटी मेंबर के हैं हस्ताक्षर

संविधान की मूल प्रति देखनी हो तो जाएं रविवि, कृषि विवि और साइंस कॉलेज

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

रायपुर ● जब भी आप किसी से परेशान हो जाते हैं, कोई राह नजर नहीं आती तो एक ही रास्ता नजर आता है कोर्ट। इसलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि आई विल सी यू इन कोर्ट। आखिर ये विश्वास ही तो है हमारे संविधान का। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासी घटना को ही देख लीजिए। तीन पार्टियां एक साथ कोर्ट पहुंचीं। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। रविवि के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रो. वेणुधर रौतियां कहते हैं कि भारतीय संविधान हाथों से लिखा गया था जिसकी एकमात्र कॉपी सुरक्षा के साथ संसद में लॉकर में रखी गई है।

इसकी प्रिंटेड कॉपियां देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में भेजी गई जिसमें पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी , साइंस कॉलेज और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्याल भी शामिल हैं। अब तक 103 संशोधन किए जा चुके हैं। रविवि के रजिस्ट्रार गिरीशकांत पांडेय की मानें तो उस वक्त 500 कॉपियां प्रिंट करवाई गईं थीं।

छत्तीसगढ़ से इनके हैं हस्ताक्षर

देश के सभी विधानसभाओं से सदस्यों का मनोनयन भी संविधान निर्मात्री समिति में किया गया था। उस वक्त 500 रियासतें थीं। छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थीं। इसमें रायपुर से पं. रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, दुर्ग से दाऊ घनश्याम सिंह गुप्त, रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में कांकेर से रामप्रसाद पोटाई और रायगढ़ से किशोरी मोहन त्रिपाठी को शामिल किया गया। इनके अलावा डॉ हरिसिंह गौर भी रहे। इन सभी के हस्ताक्षर इस किताब में है। **(नाम बाएं से दाएं)**

जानिए अपने छह फंडामेंटल राइट्स को

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
- शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 और 28)
- 5- शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)
- इलाज प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 32)

वुड प्रिंट से तैयार है बुक

सांइस कॉलेज के प्रो प्रवीण शर्मा ने बताया कि संविधान की यह प्रति लिथो से तैयार की गई है। संगमरमर के 10 बाय 10 के पत्थर को घिसकर केमिकल प्रोसेस के तहत इसकी छपाई हुई है। ये किताबें रेयर एंड रेयर मानी जाती हैं। चूंकि तबके वक्त 500 कॉपी ही प्रिंट हुई थीं। इन्हें नॉट फॉर सेल के तौर पर देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया।

2015 से मनाया जा रहा

संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने हाथ से लिखी गई दो कॉपियों (हिंदी और अंग्रेजी) पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर को सभी स्कूलों में संविधान दिवस मनाया जाएगा। सरकार ने 19 नवंबर, 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था।